राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्या 6/2017 ....जिला : हनुमानगढ़..................

उनवान – मै0 गणपति जिनर्स एण्ड राईस मिल्स, हनुमानगढ़ टाउन बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापंवचन, श्रीगंगानगर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.01.2017	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल–सदस्य** **श्री राजीव चौधरी–सदस्य** उक्त विविध प्रार्थना पत्र व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड की समन्वय (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 21/2017/हनुमानगढ़ में पारित निर्णय दिनांक 11.01.2017 के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर, प्रकरण के निस्तारण की समयावधि, बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण में रू0 7,51,663/– की राशि पर पूर्व में तीन माह के लिये स्थगन दिया गया था। व्यवहारी की ओर श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक व विभाग की ओर से श्री अनिल पोखरणा, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में व्यवहारी की ओर से प्रकरण के निस्तारण की समयावधि बढ़ाने के संबंध में निवेदन किया गया। अभिभाषक ने स्थगन आदेश की अवधि में वृद्धि किये जाने के लिये कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा आदिनांक तक प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 21/2017/हनुमानगढ़ में पारित किये गये आदेश दिनांक 11.01.2017 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय खण्डपीठ द्वारा प्रकरण में अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत वसूल योग्य विवादित राशि की वसूली कार्यवाही स्थगित करते हुए अपीलीय अधिकारी को उनके समक्ष लम्बित अपील का गुणावगुण पर तीन माह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिया गया था। अपीलार्थी अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया गया है कि खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 11.01.2017 की पालना में देय बकाया राशि जमा करवाने के क्रम में अपीलार्थी ने चेक दिनांक 25.01.2017 को दिया था जिसका भुगतान होने में 4–5 दिन का समय लग सकता है जबकि स्थगन आदेश दिनांक 27.01.2017 को समाप्त हो रही है। अतः न्यायहित में 10 दिन तक स्थगन आदेश को बढ़ाया जावे। उभयपक्षों को सुना गया तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण की विशिष्ठ परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर माननीय कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 21/2017/हनुमानगढ़ में पारित आदेश दिनांक 11.01.2017 की क्रियान्विति को दिनांक 06.02.2017 तक पूर्व में वर्णित शर्तों के आधार पर बढाया जाता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 27/01/17 (राजीव चौधरी) सदस्य 27.1.2017 (मदन लाल) सदस्य	